भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2899

18 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

विषय : किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य

2899. श्री कंवर सिंह तंवरः

श्रीमती भारती पारधीः

श्री बजरंग मनोहर सोनवणेः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को प्राप्त करने में सरकार की पहल किस हद तक सफल रही है और इसके उल्लेखनीय परिणाम क्या हैं;

(ख) वह तंत्र जिसके द्वारा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने के लिए अपनी पहल की प्रगति और प्रभाव को मापती है;

(ग) किसानों की ऋणग्रस्तता में योगदान देने वाले प्राथमिक कारक क्या हैं और उनके बोझ को कम करने के लिए कार्यान्वित की जा रही रणनीतियों का ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में छोटे और सीमांत किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य प्राप्त करने की सुविधा में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ङ) विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश में पारंपरिक फसलों की खेती से परे किसानों की आय के स्रोतों में विविधता लाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) और (ख): कृषि राज्य का विषय है और भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के प्रयासों का समर्थन करती है। भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं/कार्यक्रम उत्पादन में वृद्धि, लाभकारी रिटर्न और किसानों को आय सहायता देकर किसानों के कल्याण के लिए हैं। सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को वर्ष 2013-14 के दौरान 21933.50 करोड़ रुपये से बढ़ाकर वर्ष 2024-25 के दौरान 1,22,528.77 करोड़ रुपये कर दिया है। किसानों की समग्र आय और कृषि क्षेत्र में लाभकारी रिटर्न बढ़ाने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा आरंभ की गईं प्रमुख योजनाएं/कार्यक्रम निम्नानुसार हैं:

1. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
2. प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना (पीएम-के.एम.वाई.)
3. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.)/रीस्ट्रक्चर्ड वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम (आर.डब्ल्यू.बी.सी.आई.एस.)
4. संशोधित ब्याज छूट योजना (एम.आई.एस.एस.)
5. एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (ए.आई.एफ.)
6. 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) का गठन और संवर्धन
7. राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एन.बी.एच.एम.)
8. नमो ड्रोन दीदी

9. राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (एन.एम.एन.एफ.)
10. प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
11. स्टार्ट-अप और ग्रामीण उद्यमों के लिए एग्री फंड (एग्रीश्योर)
12. प्रति बूंद अधिक फसल (पी.डी.एम.सी.)
13. कृषि मशीनीकरण उप-मिशन (एस.एम.ए.एम.)
14. परम्परागत कृषि विकास योजना (पी.के.वी.वाई.)
15. मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एस.एच. एंड एफ.)
16. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आर.ए.डी.)
17. कृषि वानिकी
18. फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सी.डी.पी.)
19. कृषि विस्तार उप-मिशन (एस.एम.ए.ई.)
20. बीज एवं रोपण सामग्री उप-मिशन (एस.एम.एस.पी.)
21. राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एन.एफ.एस.एन.एम.)
22. एकीकृत कृषि विपणन योजना (आई.एस.ए.एम.)
23. समेकित बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.)
24. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- ऑयल पाम
25. राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एन.एम.ई.ओ.)- तिलहन
26. पूर्वोत्तर क्षेत्र जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
27. डिजिटल कृषि मिशन
28. राष्ट्रीय बांस मिशन

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) ने 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन जारी किया है जिन्होंने कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय तथा संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के अभिसरण से अपनी आय दोगुनी से भी अधिक कर ली है।

राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई, 2018- जून, 2019 के संदर्भ में एनएसएस के 77वें दौर (जनवरी, 2019 - दिसंबर, 2019) के दौरान कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) किया।

इन सर्वेक्षणों के अनुसार, प्रति कृषि परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय वर्ष 2012-13 (एनएसएस 70वें दौर) में 6,426 रूपए से बढ़कर वर्ष 2018-19 (एनएसएस 77वें दौर) में 10,218 रूपए हो गया है।

(ग) से (ङ): सरकार पूरे भारत में विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में संशोधित ब्याज अनुदान योजना (एमआईएसएस) के रूप में जानी जाने वाली 100% केंद्र द्वारा वित्त पोषित केंद्रीय क्षेत्रक योजना को कार्यान्वित कर रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को उनकी कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से प्राप्त अल्पकालिक कृषि ऋणों पर रियायती ब्याज दरें प्रदान करना है। इस योजना के तहत, किसानों को 7% की रियायती ब्याज दर पर केसीसी ऋण मिलता है। इसे सुविधाजनक बनाने के लिए, वित्तीय संस्थानों को 1.5% का एक अग्रिम ब्याज अनुदान (आईएस) प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, जो किसान अपने ऋण को समय पर चुकाते हैं, उन्हें 3% शीघ्र पुनर्भुगतान प्रोत्साहन (पीआरआई) मिलता है, जो प्रभावी रूप से ब्याज दर को घटाकर 4% प्रति वर्ष कर देता है। आईएस और पीआरआई का लाभ 3 लाख रुपये तक की ऋण सीमा के लिए उपलब्ध है। तथापि यदि संबंधित गतिविधि के लिए लघु आवधिक ऋण लिया जाता है, ऋण की सीमा केवल 2 लाख रुपये तक सीमित होगी।

सरकार, उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में छोटे और सीमांत किसानों को उनकी कृषि उपज के लिए उचित और लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु उनकी पहुंच में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-एनएएम), एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच), राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई), एग्री इंफ्रा फंड (एआईएफ), एग्री मार्केटिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर (एएमआई) और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) जैसी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

सरकार, राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के विचारों पर विचार करने के बाद कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सीएसीपी) की सिफारिशों के आधार पर 22 अधिदेशित कृषि फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफआरपी) तय करती है।22 अधिदेशित फसलों में 14 खरीफ फसलें जैसे धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, नाइजरसीड, कपास और 6 रबी फसलें, जैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड और सरसों, कुसुम और दो वाणिज्यिक फसलें, जैसे जूट और खोपरा शामिल हैं।

वर्ष 2018-19 के केंद्रीय बजट में एमएसपी को उत्पादन लागत के डेढ़ गुना के स्तर पर रखने के पूर्व-निर्धारित सिद्धांत की घोषणा की गई थी। तदनुसार, सरकार ने वर्ष 2018-19 से अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत पर न्यूनतम 50 प्रतिशत रिटर्न के साथ सभी अधिदेशित खरीफ, रबी और अन्य वाणिज्यिक फसलों के लिए एमएसपी में वृद्धि की थी।

सरकार प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) की एकीकृत योजना का संचालन करती है जिसमें मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस), मूल्य कमी भुगतान योजना (पीडीपीएस), बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) और मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ) शामिल हैं। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग पीएसएस, पीडीपीएस और एमआईएस का संचालन करता है जबकि उपभोक्ता मामले विभाग पीएसएफ का संचालन करता है। एकीकृत पीएम-आशा योजना का उद्देश्य खरीद कार्यों के कार्यान्वयन में अधिक प्रभावशीलता लाना है जो न केवल किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य प्रदान करने में सहायता करेगा बल्कि उपभोक्ताओं को सस्ती कीमतों पर उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करके आवश्यक वस्तुओं की कीमत में उतार-चढ़ाव को भी नियंत्रित करेगा।

कृषि और किसान कल्याण विभाग अधिक जल उपयोग से पैदा होने वाले धान की फसल के क्षेत्र को वैकल्पिक फसलों जैसे दलहन, तिलहन, मोटे अनाजों, पोषक अनाजों, कपास आदि में बदलने के लिए फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी) को मूल हरित क्रांति वाले राज्यों जैसे हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लागू कर रहा है।

इसके अलावा, भारत सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एनएफ़एसएम) के तहत दलहन, मोटे अनाजों, पोषक अनाजों और कपास जैसी फसलों के विविध उत्पादन और एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत उच्च मूल्य वाली बागवानी फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है।

भारत सरकार आरकेवीवाई के तहत राज्यों की विशिष्ट आवश्यकताओं/प्राथमिकताओं के लिए भी राज्यों को छूट देती है। राज्य अपने-अपने राज्यों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय मंजूरी समिति (एसएलएससी) के अनुमोदन से आरकेवीवाई के तहत फसल विविधीकरण को बढ़ावा दे सकते हैं।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) अपने फसल आधारित संस्थानों और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजनाओं (एआईसीआरपी) के माध्यम से और राज्य विश्वविद्यालयों (एसएयू) के सक्रिय सहयोग से देश के विभिन्न कृषि पारिस्थितिकी में खेती के लिए गेहूं और चावल फसल प्रणाली में विविधता लाने के लिए तिलहन और दलहन की उच्च उपज वाली जलवायु अनुकूल किस्मों/संकर किस्मों को विकसित करने के लिए आधारभूत और रणनीतिक अनुसंधान में लगी हुई है।

*****